सह-अस्तित्व : एक वैचारिकी

सस्नेह भेंट डॉ० अकलाख खान जी
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र

26.03.2019

विकास सिंह

संपादक

असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास

राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

गाजीपुर

लोकनाथ पब्लिकेशन

त्रयोदश पुष्प : १४३

डॉ.अमित यादव / सह-अस्तित्व का दर्शन एवं महात्मा बुद्ध

चतुर्दश पुष्प : १५४

सारिका सिंह / अकबर और गंगा जमुनी तहज़ीब

पंचदश पुष्प : १६३

डॉ. विकास सिंह / समवायो एव साधु

षडदश पुष्प : १७०

डॉ. निरंजन कुमार यादव / सह-अस्तित्व के प्रस्तोता कवि : कबीर

सप्तदश पुष्प : १८२

इखलाक अहमद / लैंगिक विभेद: सह-अस्तित्व पर मँडराता खतरा

अष्टादश पुष्प : १८८

डॉ. संगीता मौर्य / हिन्दी साहित्य की धर्मनिरपेक्ष सह- अस्तित्ववादी प्रकृति

नवदश पुष्प : १९६

Dr.Vandana Kumari / Co-Existence of Physical and Mental Health

सप्तदश पुष्प

लैंगिक विभेद: सह-अस्तित्व पर मँडराता खतरा

इखलाक अहमद •

प्रकृति के निर्माण का आधार सह-अस्तित्व है। इसके विभिन्न घटकों में सन्तुलन एवं सामंजस्य पाया जाता है। सह-अस्तित्व की अवधारणा एकांगी नहीं है, वरन् यह अपने साथ-साथ दूसरों के अस्तित्व को सम्मान स्वीकारता है। मानव समाज भी प्रकृति का ही एक अंग है। स्त्री और पुरूष इस मानव समाज के दो स्तम्भ हैं, जिस पर मानव समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। दोनों ही स्तम्भ परस्पर एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। यह सत्य है कि प्रत्येक समाज में समानता और असमानता दोनों ही पाए जाते हैं (सोसाइटी- मैकाइवर एवं पेज)।

अन्य समाजों की भाँति भारतीय समाज भी जाति, धर्म, वर्ग के साथ-साथ लैंगिक असमानता द्वारा संस्तरित है। यद्यपि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। मध्य काल आते-आते उनकी स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई और वर्तमान भारत में भी कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। अभी भी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक विभेद का शिकार हो रही हैं जिससे भारतीय समाज में स्त्री पुरूष के पारस्परिक सम्बन्धों में सह- अस्तित्व की भावना क्षीण हुई है। लैंगिक विभेद के अध्ययन में १९७० के आस- पास समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों का रूझान पैदा हुआ। इसके पहले तक लैंगिक विभेद मात्र स्त्री और पुरूष में जैविकीय भिन्नता के रूप में देखा जाता था। बाद में होने वाले अध्ययनों में जैविकीय विभिन्नता के साथ-ही-साथ सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर स्त्री-पुरूष सम्बन्ध को व्याख्यायित किया जाने लगा। १९७२ में अन्न ओकले

• असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाज शास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर

समय-समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा और भेद-भाव रोकने हेतु विभिन्न कानूनों का निर्माण एवं सुधार करती रहती है। किन्तु इसके सकारात्मक परिणाम तभी लक्षित होंगे, जब मनुष्य इसे भावात्मक एवं वैचारिक रूप से स्वीकार कर ले। मानवीय मूल्य एवं मानवीय स्वभाव में जब तक सह- अस्तित्व की भावना प्रबल नहीं होगी तब तक कोई कानून, कोई सरकार उचित रूप में महिलाओं को वह सम्मान नहीं दिला सकती जिसकी वह सचमुच में हकदार हैं।

डा. अम्बेडकर भी लैंगिक समानता के पक्षधर थें। उन्होंने कहा कि "मैं किसी समाज की प्रगति वहाँ के औरतों द्वारा की गयी प्रगति से मापता हूँ।" ऐसे में सामाजिक सह-अस्तित्व के लिए लैंगिक विभेद को समाप्त किया जाना आवश्यक है तभी मानव समाज का सम्पूर्ण विकास और प्रगति सम्भव है। वास्तविक बदलाव तभी सम्भव है जब पुरूषों की सोच बदली जाए, साथ ही महिलाओं को भी अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनना होगा। केवल संविधान और कानूनों के प्रभावों से लैंगिक विभेद को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास, जागरूकता एवं भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है।

हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी लोकतंत्र आने वाले समय में पुरूषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लैंगिक विभेद की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा और वास्तविक समतावादी समाज की संकल्पना हकीकत में बदल जायेगी।

❖